

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :-396/2023-24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

करण कुमार वैठा.....आवेदक/विक्रेता

शिव शंकर नायक.....क्रेता

बनाम्

राज्य सरकार.....द्वितीय पक्ष

प्रथम पक्ष

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित															
09.01.2024	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती करण कुमार वैठा पिता/पति शनिचरण वैठा उर्फ शनिचरण वैठा ग्राम-विनगांव, थाना-कर्रा, जिला-खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन किया गया है:-</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><thead><tr><th colspan="5">भूमि का विवरण</th></tr><tr><th>ग्राम</th><th>थाना नं०</th><th>खाता नं०</th><th>खेसरा सं०</th><th>रकबा(एकड़ में)</th></tr></thead><tbody><tr><td>विनगांव</td><td>132</td><td>01</td><td>167</td><td>0.20</td></tr></tbody></table> <p>आवेदक/आवेदिका के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती करण कुमार वैठा पिता/पति शनिचरण वैठा उर्फ शनिचरण वैठा ग्राम-विनगांव, थाना-कर्रा, जिला-खूँटी को देन महाजन एवं अन्य खर्च हेतु राशि की आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेता श्री/श्रीमती शिव शंकर नायक पिता/पति राजु नायक ग्राम-लोधमा, थाना-कर्रा, जिला-खूँटी को विक्री करना चाहते/चाहती है।</p> <p>आवेदक/आवेदिका अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं खतियान की छाया प्रति तथा लगान की रसीद 0562672242 की छाया प्रति उनके द्वारा प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि में किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। अंचल अधिकारी, कर्रा के पत्रांक 965 दिनांक 14.12.2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, कर्रा के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक/आवेदिका के पूर्वजों की खरीदगी भूमि है, आवेदक/आवेदिका पंजी ॥ रैयतों में से एक का पुत्र है। प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन पंजी ॥ के भाग सं० 5 के पृष्ठ सं० 52 पर जमाबंदी दर्ज है।</p>	भूमि का विवरण					ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)	विनगांव	132	01	167	0.20	
भूमि का विवरण																	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)													
विनगांव	132	01	167	0.20													

आवेदक/आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही जिला खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जाति रागुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को देन महाजन एवं अन्य खर्च हेतु विक्री करना चाहते हैं।

अंचल अधिकारी, कर्रा के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य एवं एक ही जिला के निवासी हैं। विक्रेता एवं क्रेता दोनों की ओर से एक जिला के निवासी होने एवं अनुसूचित जाति के सदस्य होने के प्रमाण में शपथ पत्र संख्या 243 दिनांक 09.01.2024 के साथ अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं०- JHCC/2015/212491 दिनांक 18.02.2016 एवं अंचल अधिकारी, कर्रा द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र सं०- JHLRCO/2022/451397 दिनांक 13.08.2022 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं तथा एक ही जिला के निवासी हैं। अंचल अधिकारी, कर्रा ने आवेदित भूमि की विक्री हेतु अनुशंसा किया है।

अतः अंचल अधिकारी, कर्रा के पत्रांक 965 दिनांक 14.12.2023 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती करण कुमार वैठा पिता/पति शनिचरण वैठा उर्फ शनिचरण वैठा ग्राम-विनगांव, थाना-तोरपा, जिला-खूँटी को क्रेता श्री/श्रीमती शिव शंकर नायक पिता/पति राजु नायक ग्राम-लोधमा, थाना-कर्रा, जिला-खूँटी के साथ ग्राम विनगाँव के खाता सं० 01 खेसरा संख्या 167 रकबा 0.20 एकड़ भूमि को बाजार दर या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, तोरपा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।